

दोहरी लाइन खंड पर जब एक लाइन बाधित हो जाय तो इकहरी लाइन कार्यप्रणाली लागू करने के नियम एवं विनियम-

1. जब कभी किसी गाड़ी के दुर्घटना ग्रस्त होने या रेलपथ या किसी दूसरी बाधा के कारण दोहरी लाइन के किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है तो यातायात का परिवहन अस्थायी रूप में निम्नलिखित में से किसी एक विधि से हो सकता है
क. विद्युत संचार यंत्रों द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त करके,
ख. यदि प्रभावित लाइन के अधिक समय तक अनुपयोगी रहने की संभावना हो तो इकहरी लाइन ब्लॉकयंत्र और ब्लॉक सेक्शन को गलत दिशा में सीमांकित करने हेतु शंटिंग लिमिट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी।
2. जब दोहरी लाइन पर विद्युत संचार यंत्रों द्वारा अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू करना वांछित हो तो प्रभावित सेक्शन के एक छोर के स्टेशन मास्टर को लिखित विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि एक लाइन साफ है, उस लाइन पर सेक्शन नियंत्रक तथा सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर से विचार विमर्श कर अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली चालू करने की कार्यवाही करेगा।
3. यदि यह आशंका हो कि जिस लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू किया जाना है वह लाइन भी क्षतिग्रस्त है या उसका उल्लंघन किया हुआ है तो अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इंजीनियरिंग विभाग का एक उत्तरदायी कर्मचारी, जिसका पदक्रम किसी निरीक्षक से नीचे नहीं होगा, ने उस खंड का निरीक्षण कर लिया हो एवं प्रमाणित करे कि रास्ता गाड़ी परिचालन हेतु सुरक्षित है।
4. इकहरी लाइन कार्यप्रणाली बाधा के दोनों ओर के 'अप' तथा 'डाउन' लाइन के बीच क्रॉस ओवर वाले निकटतम स्टेशनों के बीच लागू किया जाएगा। यदि उपरोक्त दोनों स्टेशनों के बीच कोई इंटरमीडियट ब्लॉक पोस्ट हो तो उसे बंद माना जाएगा और संपूर्ण अवधि में ऐसे ब्लॉक हट के ब्लॉक यंत्र के कम्प्यूटेटर को ट्रेन ऑन लाइन' पोजीसन में ताला बंद कर दिया जायेगा जबतक कि इकहरी लाइन कार्यप्रणाली चालू रहेगा। जहाँ संभव हो वहाँ स्टेशन मास्टर की चाभी से भी कम्प्यूटेटर को उस स्थिति में तालाबंद कर दिया जाएगा। जहाँ यह संभव नहीं है कम्प्यूटेटर को ट्रेन ऑन लाइन पोजीसन में तालाबंद किया जाय, जैसे कि डायडो इंस्ट्रुमेंट में, उस स्थिति में ब्लॉक यंत्र को प्रयोग से बाहर कर दिया जाएगा और ब्लॉक यंत्र के हैन्डिल पर कॉशन इंडिकेटर लटका दिया जाएगा। संपूर्ण अवधि में ऐसे ब्लॉकहट के सिगनल 'ऑन' स्थिति में रखे जायेंगे एवं इन्हें लोको पायलट द्वारा निकटवर्ती चालू ब्लॉक स्टेशन के कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निर्धारित फार्म पर जारी लिखित प्राधिकार पर पार किया जायेगा।
5. सभी गाड़ियों इकहरी लाइन पर उपयोग में आनेवाले विद्युत संचार यंत्रों के लिये दिये गये नियमों के अनुसार चलायी जाएगी तथा लाइन क्लियर ब्लॉक यंत्र से संबद्ध टेलीफोन या कन्ट्रोल फोन या वी. एच. एफ. सेट द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
6. सेक्शन के उस भाग पर जहाँ इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू की गयी है, के सभी स्टेशनों पर अवरुद्ध या अवरोध रहित दोनों लाइनों से संबंधित ब्लॉक यंत्रों के कम्प्यूटेटर तबतक ट्रेन ऑन लाइन स्थिति में रखा जाएगा जबतक कि इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू रहे। जहाँ कहीं संभव हो स्टेशन मास्टर की चाभी से भी कम्प्यूटेटर को ताला बंद किया जाएगा। जहाँ यह संभव नहीं है कम्प्यूटेटर को 'ट्रेन ऑन लाइन' पोजीशन में तालाबंद किया जाय, जैसे कि डायडो इंस्ट्रुमेंट में, उस स्थिति में ब्लॉक यंत्र को प्रयोग से बाहर कर दिया जाएगा और ब्लॉक यंत्र के हैन्डिल पर कॉशन इंडिकेटर लटका दिया जाएगा। यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो स्टेशन पर सभी स्थावर सिगनलों को ऑन' स्थिति में रखा जाएगा।
7. यह निश्चय कर लेने के बाद कि कोई एक लाइन यातायात हेतु साफ है, इकहरी लाइन कार्य प्रणाली चालू करने हेतु प्रस्तावित करने वाले स्टेशन मास्टर प्राईवेट नम्बरों के आदान-प्रदान के साथ प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर के स्टेशन मास्टर को एक मेसेज जारी करेगा जिसमें नीचे लिखी सूचनायें होंगी-

- क. इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू करने का कारण,
- ख. किस लाइन से इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है,
- ग. कथित लाइन के साफ होने की सूचना का माध्यम,
- घ. अवरोध का स्थान,
- ङ. लाइन पर गतिप्रतिबंध, यदि कोई हो,
- च. मध्यवर्ती स्टेशनों के नाम, यदि कोई हो, जो बंद रहेंगे,
- छ. आश्वासन कि ट्रेप काँटा, यदि कोई हो, को स्पाइक कर दिया गया है और उसमें क्लैम्प एवं ताला लगा दिया गया है.
- ज. आश्वासन कि यदि गाड़ी सही लाइन पर चल रही है तो अंतिम रोक सिगनल ऑन स्थिति में रखा जाएगा। गाड़ी के गलत लाइन पर चलने की स्थिति में सभी स्थावर सिगनल 'ऑन' स्थिति में रखे जायेंगे, और
- झ. मेसेज जारी करने वाले ब्लॉक स्टेशन पर / से पहुँचने एवं छूटने वाली अंतिम गाड़ी की संख्या तथा समय।
8. स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर द्वारा समर्थित अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू की जा सकती है। लाइन क्लियर ब्लॉक यंत्र से जुड़े फोन या कंट्रोल फोन या वी.एच. एफ. सेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और गाड़ियाँ पेपर लाइन क्लियर टिकट पर चलेंगी। तथापि आवक एवं जावक दोनों लाइन क्लियर इक्वायरी मेसेज निर्धारित प्रारूप टी/ए 1425 पर आदान प्रदान किया जाएगा और उसके बाद लाइन क्लियर टिकट टी/डी 602 के निर्धारित भाग पर तैयार किया जाएगा एवं संबंधित टी/डी 1425 या टी/सी 1425 को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. **प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली हेतु प्राधिकार टी/डी 602 पर यह लिखकर दिया जाएगा:-**
- वह लाइन जिस पर गाड़ी अथवा लाइट इंजन को चलना है,
 - किलोमीटर जिनके बीच अवरोध अवस्थित है,
 - कोई गति प्रतिबंध जो रेलपथ या निर्माण कर्मचारी द्वारा लगाया गया हो,
 - संबंधित लाइन पर यदि कोई ट्रेप काँटा हो तो उसे स्पाइक या क्लैम्प करने का आश्वासन,
 - अंतिम रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने का प्राधिकार। यदि स्टार्टर सिगनल अंतिम रोक सिगनल हो तो लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त इस सिगनल के नीचे से हाथ सिगनल भी उसे दिखाया जाएगा।
10. गाड़ी जिस लाइन पर चलेगी, इसका विशेष उल्लेख करते हुए पहली गाड़ी के लोको पायलट को दिया जानेवाला टी/डी 602 के सतर्कता आदेश वाले भाग में यह भी लिखा जाएगा कि रास्ता के सभी फाटकवाले तथा गैंगमैन को अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू होने की सूचना देगा। यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद की दूसरी गाड़ी के लोको पायलट द्वारा भी दी जाएगी।
11. अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली में चलनेवाली पहली गाड़ी की गति 25 कि.मी.प्र.घं. प्रतिबंधित किया जाएगा। बाद की गाड़ियाँ रेलपथ या निर्माण के कर्मचारियों द्वारा लागू गति प्रतिबंधों का पालन करते हुये निर्धारित गति से चल सकती हैं।
12. यदि कोई गाड़ी दुर्घटना या विफलता या अवरोध या किसी अन्य असाधारण कारण से स्टेशनों के बीच रुक जाती है और लोको पायलट पाता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है तो गाड़ी को नियम 6.03 के अनुरूप सुरक्षित किया जाएगा।
13. **सही लाइन पर गाड़ी चलने की स्थिति में :-**
- प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन का अंतिम रोक सिगनल पैरा 9 (v) में उद्धृत निर्धारित फार्म पर स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार पर ऑन स्थिति में पार करेगा। यदि स्टार्टर सिगनल अंतिम रोक सिगनल हो तो लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त इस सिगनल के नीचे से हाथ सिगनल भी उसे दिखाया जाएगा।
 - प्रभावित सेक्शन के आगे के स्टेशन का आगमन रोक सिगनल, यदि कोई हो, को 'ऑफ' किया जा सकता है।

14. गाड़ी के गलत लाइन पर चलने की स्थिति में :-

- क. स्टेशन से बाहर गाड़ी जिन काँटों पर से गाड़ी गुजरेगी उन सभी फेसिंग काँटे सेट एवं तालाबंद करने तथा ट्रेलिंग काँटा सेट करने के बाद जारी फार्म टी-511 के प्राधिकार पर पायलट किया जायेगा।
- ख. उचित प्रस्थान प्राधिकार पर गलत लाइन पर चलते समय लोको पायलट को गाड़ी के इंजन का फ्लैशर लाइट का स्वीच ऑन कर देना चाहिए। यदि गलत लाइन पर गाड़ी के इंजन का फ्लैशर लाइट का स्वीच 'ऑन' किये बिना चलना स्टेशन कर्मचारी, फाटकवाला और गैंगमैन द्वारा देखा जाता है तो वे गाड़ी को तत्काल रोक देंगे।
- ग. अगला स्टेशन पहुँचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी सही लाइन के प्रथम रोक सिगनल के या गलत लाइन के (जिस पर वह चल रहा है) अंतिम रोक सिगनल, दोनों में जो पहले मिले, के सामने रोकेगा।
- घ. अगला स्टेशन का स्टेशन मास्टर एक वर्दीधारी रेल कर्मचारी सिगनल (जो गाड़ी के सामने सबसे पहले पड़ता हो) के नीचे प्रतिनियुक्त करेगा, जो खतरा का हाथ सिगनल दिखाकर गाड़ी को खड़ा करेगा और उसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा जारी जैसा कि स.नि. 5.10 में उद्धृत है, हस्तलिखित प्राधिकार पर गाड़ी को स्टेशन में पायलट करेगा।
- ङ. यदि लोको पायलट पाता है कि कोई वर्दीधारी रेल कर्मचारी गाड़ी को स्टेशन में पायलट करने हेतु सिगनल के नीचे प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है तो नियम 4.44 (i) का अनुपालन किया जाएगा।

15. अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू रहते समय फेसिंग दिशा में सभी क्रॉस ओवर प्वाइंट्स, जिन पर गाड़ी गुजरेगी, पर क्लैम्प और ताला लगा दिया जाएगा।

16. सामान्य कार्यप्रणाली का पुनः आरम्भ करना:-

- क. इंजीनियरिंग विभाग के उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कि बाधित लाइन गाड़ियों के गुजरने हेतु साफ एवं सुरक्षित है, प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान के साथ स्टेशन मास्टर अन्य स्टेशन या स्टेशनों को, जैसी स्थिति हो, मेसेज जारी करेगा और सेक्शन नियंत्रक से संपर्क कर निर्णय लेगा कि किस गाड़ी के गुजरने के बाद सामान्य कार्य प्रणाली चालू करना है।
- ख. जब दोहरी लाइन कार्य प्रणाली चालू हो जाएगी तब ब्लॉकयंत्र तथा इंटरमीडियट ब्लॉक हट सहित, सभी स्थावर सिगनल जिन्हें बंद मान लिया गया था, को तत्काल चालू कर दिया जायेगा। संबंधित सभी स्टेशनों के ट्रेन सिगनल रजिस्टर में दोहरी लाइन कार्य प्रणाली स्थगित होने का समय, इकहरी लाइन कार्य प्रणाली प्रारंभ करने का समय तथा सामान्य कार्य प्रणाली प्रारंभ करने के समय की प्रविष्टि की जायेगी। सामान्य कार्य प्रणाली प्रारंभ करने के बाद सेक्शन में प्रवेश करनेवाली प्रथम गाड़ी का लोको पायलट रास्ते में पड़ने वाले सभी फाटक वाला एवं गैंगमैन को सामान्य कार्यप्रणाली चालू होने की सूचना देगा।
17. अस्थायी इकहरी लाइन कार्यप्रणाली संबंधी सभी अभिलेख स्टेशन पर रख लिये जायेंगे और सेक्शन के यातायात निरीक्षक उसकी जाँच पड़ताल अवश्य करेंगे तथा अपना रिपोर्ट सामान्य कार्य प्रणाली लागू होने के सात दिनों के भीतर मंडल रेल प्रबंधक को सौंपेंगे।

मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सेलिंग कर सजग करें।

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by
MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2026.02.28 15:41:57
+05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

दिनांक- 28.02.2026

संख्या ई सी आर/परि संरक्षा/ऑपरेटिंग बुलेटिन/87/505

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंदक रेल प्रबंधक- दानापुर, धनबाद, डीडीयू, सोनपुर समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरीय मण्डल परिचालन प्रबंधक - दानापुर, धनबाद, डीडीयू, सोनपुर समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।